अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**18.02.2026** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स०** श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० श्री मनीष कुमार, स०वि०स० श्री अरूण माँझी, स०वि०स०	"बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है । जबकि उस अनुपात में स्थानीय नगर निकाय के वार्ड पार्षद का नियत भत्ता क्रमशः नगर निगम के वार्ड पार्षद को 2500/- रूपये, नगर परिषद के वार्ड पार्षद को 1500/- रूपये तथा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद को 1000/- रूपये वित्तीय वर्ष 2015-16 से यथावत है, जो न्यायोचित नहीं है । इस प्रकार इस अंतराल में महंगाई काफी बढ़ी है । अतएव निर्वाचित वार्ड पार्षदों को भी पंचायती राज के आधार पर नियत भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	नगर विकास एवं आवास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**सुश्री मैथिली ठाकुर, स०वि०स०** श्री आनन्द मिश्र, स०वि०स० श्री कलाधर प्रसाद मंडल, स०वि०स० श्री सुजीत कुमार, स०वि०स० श्रीमती श्वेता गुप्ता, स०वि०स०	''बिहार के विभिन्न जिलों खासकर उत्तर बिहार यथा अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में अर्जुन वृक्ष (औषधीय वृक्ष) की बहुतायत संख्या एक बड़ी आर्थिक और आयुर्वेदिक संपत्ति है, जिसका सही तरीके से उपयोग न केवल रोजगार बल्कि बिहार को हर्बल मेडिसिन का केन्द्र भी बना सकता है । अर्जुन वृक्ष के छाल में बीटा साइटोस्टेरॉल, अर्जुनिक अम्ल तथा फ्रीडेलीन की मात्रा होने के कारण छाल से बने अर्जुन घृत, क्षयकाश तथा अर्जुनरिष्ठ दवा के उपयोग से हृदय रोग, क्षय रोग, सुगर जैसी गंभीर बीमारी में मरीजों को लाभ हो रहा है, जिस पर शोधकर्त्ता भी सहमत हैं। बिहार में अधिकतर छाल कच्चे माल के रूप में दूसरे राज्यों में भेजने के बजाय जिला स्तर पर छोटे प्लांट लगाकर छाल से बनी टैबलेट, काढ़ा और हार्ट-केयर सप्लीमेंट्स की ब्रांडिग सरकार के पोर्टल के माध्यम से मेक इन बिहार के तहत की जानी चाहिए । अतः उत्तर बिहार में अर्जुन छाल में रक्षित घटक के आधार पर योजना के तहत कच्चे माल का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग यूनिट तथा सरकारी सहायता एवं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खेती कराकर होम्योपैथी एवं आयुर्वेद पद्धति के तहत हर्बल मेडिसिन का केन्द्र बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूँ ।''	स्वास्थ्य

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/2026- 85 /वि०स०, पटना, दिनांक- 17 फरवरी, 2026 ई०।
प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/2026- 85 /वि०स०, पटना, दिनांक- 17 फरवरी, 2026 ई०।
प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/2026- 85 /वि०स०, पटना, दिनांक- 17 फरवरी, 2026 ई०।
प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग एंव स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-11/2026- 85 /वि०स०, पटना, दिनांक- 17 फरवरी, 2026 ई०।
प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

हस्ताक्षरित
17/02/2026